उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4

संख्या- 1-ई.आर./79-का-4-2000

लखनऊ : दिनांक: मार्च 27, 2001

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ।

उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2001

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम 4 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1979 में, जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है, नियम 4 में, वर्तमान खण्ड (ट) के पश्चात निम्नलिखित नया खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

"(ध) यह उसके पदधारियों का निर्वाचन उसकी उप-विधियों में विहित अवधि के भीतर या दो वर्षों के भीतर, जो भी पहले हो, करायेगा ।"

"(न) यह उसकी उप-विधियां बिना सरकार की पूर्व अनुमति के संशोधन नहीं करेगा ।"

नियम 8 का संशोधन

3. उक्त नियमावली में, नियम 8 में, उपनियम (1) में, खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

"(ड.) संघ/परिसंघ/महासंघ, जिसने, उसके पदधारियों का निर्वाचन उसकी उप-विधियों में विहित अवधि के भीतर या दो वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, नहीं किया हो,"

"(च) संघ/परिसंघ/महासंघ जिसने बिना सरकार की पूर्व अनुमति के उसकी उप-विधियां संशोधित की हों ।"

.........2